फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा

रामस्वरूप बनाम राज0 सरकार

किस्म मुकदमा–प्रा0पत्र 128 एल.आर.ए. मु0नं0–100/2023

पीठासीन अधिकारी– डॉ0 नवनीत कुमार (आर0ए0एस0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.07.2025	पत्रावली निर्णय हेतु पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 3603 वाके रामा गढोली में स्थित है जो कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि है जिस पर प्रार्थी का कब्जा काश्त कर मुस्तफिद फायदे उठाता चला आ रहा है। उक्त भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 31.10.2022 को तहसीलदार सिकराय के आदेश से कियाजा चुका है प्रार्थी ने उक्त भूमि का सीमाज्ञान करवा लिया है लेकिन जानवरों तथा बरसात की वजह से उक्त सीमाचिन्ह नष्ट हो चुके है जिसका फायदा उठाकर पडौसी खातेदारान प्रार्थी की भूमि पर कब्जा करने पर आमादा है। इसलिए भूमि प्रार्थीगण की पत्थरगढी हेतु आदेश तहसीलदार सिकराय को दिए जावे। इत्यादि पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया । तहसीलदार सिकराय से जवाब तलब किया गया। एवं पत्रावली में बहस सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि विवादित भूमि प्रार्थीगण के कब्जेकाश्त की भूमि है। उक्त भूमि का सीमाज्ञान किया जा चुका है। प्रार्थीगण उक्त सीमाज्ञान मुताबिक पत्थरगढी कार्यवाही करवाना चाहते है। बिना पत्थरगढी के प्रार्थीगण की भूमि के सीमाचिन्ह नष्ट होने का खतरा बना रहता है तथा सीमा विवाद होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अ0धा0 128 एल.आर.ए. स्वीकार कर पत्थरगढी करने के आदेश प्रदान किए जावे। हमने प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस का मनन किया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया प्रकरण में तहसीलदार सिकराय द्वारा भी जवाब पेश किया गया है। तहसीलदार सिकराय ने जवाब में पैरा संख्या 1 लगायत 3 को स्वीकार किया है तथा विवादित भूमि का सीमाज्ञान भी किया जा चुका है। इसलिए अ0धा0 128 एल आर एक्ट के तहत प्रार्थी अपनी भूमि की पत्थरगढी करवाने के अधिकारी है ताकि किसी भी प्रकार के सीमाचिन्ह विवाद से बचा जा सके। इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार कर भूमि खसरा नम्बर 3603 वाके रामा गढोली तह0 सिकराय जिला दौसा में पत्थरगढी कायम करने के आदेश तहसीलदार को दिए जाते है तहसीलदार उक्त आदेशानुसार प्रार्थी की भूमि पर पत्थरगढी कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। तहसीलदार सिकराय को पालना हेतू तहरीर जारी हो। निर्णय मेरे द्वारा आज लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	